

डिक्री व मुकदमें इत्बाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामदेव बनाम बसराम


दावा बाबत :- 53, 88, 188. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपटित

राजस्व मुकदमा नम्बर - 53/2023

पेश करने की दिनांक - 04.04.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक - मुद्दई सीताराम रावत व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम कानुपरा के हाल खसरा नम्बर 3446/2 रकबा 0.145 का खातेदार प्रतिवादी बसराम पुत्र रामेश्वर को हाल खसरा नम्बर 3441 रकबा 0.10 व 3446/1 रकबा 0.045 का खातेदार वादी रामदेव पुत्र भागीरथ को घोषित किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 3446/3 रकबा 0.04 वादी 1/2 व प्रतिवादी 1/2 हि. शामलात में रहेगा। बैंक रहन का इन्द्राज पूर्व अनुसार रहेगा। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 5 माह 2 सन् 2025 को जारी की गयी।



मुद्दई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद